(1)

संख्या– 1455 / ।।–2007–03(13) / 05

प्रेषक,

पी0के0महान्ति,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड।

लघु सिंचाई विभाग — देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर,2007

विषय : वित्तीय वर्ष 2007 – 08 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत आयोजनागत मदों में धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु सिंचाई विभाग के लिए वर्ष 2007–08 में जिला योजना के अन्तर्गत प्राविधानित बजट की धनराशि में से रू0 197.40 लाख (रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख चालीस हजार मात्र) जिसका विवरण संलग्नक में अंकित है, को लघु सिंचाई विभाग से सम्बन्धित सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग शासनादेश सं0 1454 / ।।–2007–14(05) / 2005 दिनांक 06.12.2007 में निहित प्राविधानानुसार किया जायेगा।

2– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यों के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यों पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

3– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृत एवं कार्यों के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

4– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, टैण्डर, कुटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

5– स्वीकृत धनराशि का खण्डवार विभाजन / फॉट सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जायेगा, जिसका विवरण शासन को भी उपलब्ध कराया जायेगा। जिला योजना की फॉट जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय के आधार पर की जाय।

6– जहॉं आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यों के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमशः..........2

7– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण– पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

8– कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

9– विभागीय कार्य करने से पूर्व लघु सिंचाई विभाग/लोक निर्माण विभाग की दरों पर आगणन गठित कर एवं तकनीकी अधिकारियों की संस्तुति के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

10– त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का मार्च, 2008 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित उपलेखा शीर्षकों के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–342(P)/XXVII–4/2007 दिनांक 06.11.2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(पी0 के0 महन्ति)
सचिव

संख्या– 1455/ II–2007–03(13)/05,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– वित्त वित्त अनुभाग–4
3– श्री एम0एल0 पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट,अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
6– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– सम्बन्धित जिलाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
8– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

संलग्न : यथोक्त।

(एस0 एस0 टोलिया)
अनु सचिव

शासनादेश सं0–1455 / II–2007–03 (13) / 05, दिनांक 06 दिसम्बर,2007 का संलग्नक।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र सं	मद का नाम	देहरादून	हरिद्वार	टिहरी	उत्तरकाशी	पौड़ी	रूद्रप्रयाग	चमोली	नैनीताल	ऊ0 सिंहनगर	अल्मोड़ा	बागेश्वर	पिथौरागढ	चम्पावत	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2702–लघु सिंचाई 80–सामान्य 052–मशीनरी तथा उपस्कर 03–मशीन सम्पूर्ति 26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	0.20	0.80	0.40	1.00	0.70	0.60	0.50	0.20	0.20	0.40	0.20	0.05	0.15	5.40
2	800–अन्य मद 91–जिला योजना 9101–लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्प्रिंकलरों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	42–अन्य व्यय	19.80	–	22.00	25.00	25.45	9.40	12.17	17.80	–	–	13.38	8.00	3.00	156.00
4	91–जिला योजना 9103–गूल हौज एवं पाईप लाईन का निर्माण, 25–लघु निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	91–जिला योजना 9105–जनपदों में गोदामों का निर्माण, 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1.00	–	2.60	4.50	8.10
6	91–जिला योजना 9106–आर्टीजन कूपों का निर्माण 24–बृहद निर्माण कार्य	–	–	–	–	–	–	–	–	27.90	–	–	–	–	27.90
	योग	20.00	0.80	22.40	26.00	26.15	10.00	12.67	18.00	28.10	1.40	13.58	10.65	7.65	197.40

(रूपये एक करोड़ सत्तानवे लाख चालीस हजार मात्र)

(एस0एस0 टोलिया)
अनु सचिव।